

कार्यालय-कुलसचिव
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
कानपुर-02

संख्या : 219 / कुस0कार्या0 / 2020

दिनांक : 21/05/2020

कार्यालय-ज्ञाप

आदेशानुसार उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 10/2020/382/सामान्य-का-4-2020-303/2020टीसी दिनांक 31 मई, 2020 (संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय 100 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

साथ ही अवगत कराना है समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी कोविड-19 महामारी से रोकथाम के दृष्टिगत अपने- अपने कार्यालय में शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार स्टाफ को तीन पालियों में विभाजित कर विभाग में सैनिटाइजेशन, फेसमास्क, फेसकवर, सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए कार्मिकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


संलग्नक : यथोक्त।



(डा० नीरज कुमार सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी, एच०बी०टी०यू० कानपुर।
2. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक, एच०बी०टी०यू० कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, एच०बी०टी०यू० कानपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



कुलसचिव